№ 018875

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 2282 वर्ष 2011-2012

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि "रईस सिफा इमदादी खाना" ग्राम - भगवानपुर, पो० - सुगौना, राजनगर, जिला - मधुबनी, (बिहार)

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख चौबीस मास अक्टूबर वर्ष दो हजार ग्यारह को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

संस्था निबंधन अधिनियम-21,1860 के अधीन निबंधन विभाग मात्र संस्था का निबंधन करता है। निबंधन को संस्था के वास्तव में कार्यरत होने या ना होने का प्रमाण या वित्तीय सहायता के प्रयोजन हेतु अनुशंसा नहीं माना जाए

24/10/11

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।

बि० स० मु० (निबन्धन), 1 —II—10,000—8-5-2010

पत्र संख्या-बी० एस०3-10.2615 / 2011 - 3023

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय

(दाखिल करने का प्रमाण पत्र)

"रईस शिक्षा इमदादी खाना"

पटना, दिनांक- 27/10/14

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के उपबन्धों के अनुसार यथावत् दाखिल / निबंधित/ अभिलेखित किया गया / किये गये।

फीस का ज्ञाप रु० 50/-(पचास रूपये) केवल।

संस्था स्मृति-पत्र/नियमावली एवं आम सभा का प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।

रमीज अंसारी (सचिव)
रईस शिक्षा इमदादी खाना
ग्राम - मझगावातपुर, पो.- सुगौना, राजनगर,
जिला - मधुबनी (बिहार)

की सेवा में उनके पत्र संख्या शून्य दिनांक 14. 10. 2014 के प्रसंग में अग्रसारित।

निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न है, प्राप्ति की सूचना दें।

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।

<u>रईस सिफा इमदादी खाना</u>

ग्राम–भगवानपुर, पो0–सुगौना, राजनगर, जिला–मधुबनी (बिहार)।

का

<u>स्मृति–पत्र</u>

1. संस्था का नाम :– रईस सिफा इमदादी खाना
2. प्रधान कार्यालय :– ग्राम–भगवानपुर, पो0–सुगौना, राजनगर, जिला–मधुबनी (बिहार)।
3. कार्य क्षेत्र :–सम्पूर्ण भारत।
4. उद्धेश्य :–
   संस्था का निम्नलिखित उद्धेश्य एवं कार्य होंगे।

(क) समाज में व्याप्त निरक्षरता के उन्मूलन हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना व विभिन्न स्तरों की शिक्षण संस्थान का संचालन करना।

(ख) प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण की सुरक्षा तथा प्रदुषण मुक्त वातावरण का निर्माण हेतु कार्यक्रम व प्रशिक्षण का संचालन करना।

(ग) सस्था–सुलभ एवं हानि रहित चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु प्राकृतिक चिकित्सा योग एवं सभी (ड्रगलेस) दवा विहीन पद्धति को प्रश्रय देना, चिकित्सालय चलाना एवं शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना व चलाना।

(घ) केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार एवं अन्य संस्थानों तथा एजेन्सीयों के स्वास्थ्य योजनाओं को पूरा करने में सहयोग करना व कार्यक्रम को चलाना।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों के लोक कला को विकसित करने हेतु कार्यक्रम व प्रशिक्षण का आयोजन करना।

(च) ग्रामीण क्षेत्रों में समय, देश, काल व पात्र के आवश्यक्ता व मॉग के अनुसार सभी कार्यक्रम चलाना जो विधि सम्मत हो।

(छ) महिलाओं, विकलांगों, हरिजनों, अल्प संख्यकों एवं अन्य कमजोर वर्गों तथा असहाय लोगों व अनाथ बच्चों के लिए पुनर्वास केन्द्र व प्रशिक्ष्ज्ञण की व्यवस्था करना व कार्यक्रम चलाना।

(ज) महिलाओं को स्वरोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कशीदाकारी, पेन्टिंग एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा सौन्दर्य प्रसाधन आदि की जानकारी देना।

(झ) शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को स्ववलम्बी बनाने हेतु टंकन, आशुलिपि कला, कम्पयुटर, इलेक्ट्रोनिक, डिजल इंजन, टेरेक्टर एवं अन्य तकनीकी विकास शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना।

(ट) लोगों के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गुड़ उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमखी पालन, पशु पालन, डेयरी उद्योग, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना एवं स्वाबलम्बी बनाने में मदद करना।

(ठ) आकस्मिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड़ आदि में राहत कार्यक्रमों का संचालन करना/सरकार को सहयोग करना।

(ड) कृषि एवं बागबानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, खाद, सिंचाई, जल छाजन, जल संचयन का प्रशिक्षण व सामान उपलब्ध कराना।

(ढ) पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना। पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन, वितरण एवं संग्रह करना, नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्ध, का प्रशिक्षण देना।

(ण) सरकार द्वारा चलाये जाने वाले सभी योजनाओं में सहयोग करना एवं चलाना।

(त) बच्चों, महिलाओं व गर्भवती महिलाओं आदि के टीकाकरण कार्यकम चलाना व सरकारी एवं गैर सरकारी एजेन्सियों को सहयोग प्रदान करना।

(थ) निराश्रित महिलाओं, विधवाओं, वृद्धाओं तथा असहाय एवं अनाथ बच्चों के लिए अल्प–आवास गृह, अनाथालय एवं उन्हें स्वरोजगार हेतु शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना व कार्यकम चलाना।

(द) समाज के कमजोर वर्गों के लिए मुफत कानूनी सलाह की व्यवस्था करना व उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करना।

(न) साफ पेय जल एवं जल संरक्षण के उपाय आदि पर काग्रकमों का संचालन करना।

(प) समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्तूलन हेतु आम लोगों को जागरूक करना तथा सरकार को इस कार्य में सहयोग प्रदान करना।

(फ) पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने, स्वच्छता एवं शुद्ध पेय जल के लिए जागरूकता काग्रकम चलाना तथा वृक्षारोपन कार्य करना।

(ब) राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सामाजिक समरसता के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ काग्र कारना एवं कार्यकमों आयोजन अनुदान आदि से करना।

उपरोक्त उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु संस्था सरकारी एवं गैर सरकारी एजेन्सीयों तथा सदस्यों और आम जनता से अनुदान, दान एवं चन्दा तथा सहयोग से कार्यकम का आयोजन और संचालन करेगी।

रईस सिफा इमदादी खाना

ग्राम–भगवानपुर, पो0–सुगौना, राजनगर, जिला–मधुबनी (बिहार)।

का

नियमावली

1. संस्था का नाम :–_रईस सिफा इमदादी खाना

2. परिभाषा :–

(क) संस्था से अभिप्राय :–_रईस सिफा इमदादी खाना

(ख) समिति से अभिप्राय :– संस्था की कार्यकारिणी समिति

(ग) पदाधिकारी से अभिप्राय :– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसेचिव, कोषाध्यक्ष

(घ) वर्ष से अभिप्राय :– 01 अप्रैल से 31 मार्च तक।

(ङ.) एक्ट से अभिप्राय :– सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट–21, 1860

3. सदस्यता :–

(क) **सामान्य सदस्य:–** कोई भी महिला एवं पुरूष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक के होंगे तथा जो संस्था के उद्धेश्य एवं नियमों का पालन करेंगे, संस्था का सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जाएगी। संसथा के प्रत्येक सदस्य को 21 रुपये प्रवेश शुलक एवं 121 रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा।

(ख) **आजीवन सदस्य:–** कोई भी प्राकृतिक चिकित्सक उपरोक्त नियमों के अधीन आजीवन सदस्य बन सकते हैं।

(ग) **संरक्षक सदस्य:–** कोई भी महिला एवं पुरूष जो प्राकृतिक चिकित्सा व योग के प्रेमी होंगे दस हजार रुपये दान देकर संरक्षक सदस्य बन सकेंगे। किन्तु इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यककारिणीसमिति द्वारा प्रदान की जाएगी।

4. **सदस्यता से विमुक्ति** :– निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाएगी।

(क) स्वयं त्याग पत्र देने पर।

(ख) पागल, दिवालिया या मृत्यु होने पर।

(ग) न्यालय द्वारा दण्डित होने पर।

(घ) समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर

(ङ.) लगातार तीन वर्ष तक सदस्यता शुल्क नहीं देने पर।

(च) लगातार तीन बैठको में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर।

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता / पति का नाम, पता, पेशा एवं पद नीचे दिया गया है। वर्तमान में कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है।

कमांक	नम, पिता / पति का नाम	पता	पेशा	पद	स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो
1	खलील पिता–फारूक	ग्राम–बैराघाट, पो0–सुगौना, भाया–राजनगर, जिला–मधुबनी	समाज सेवा	अध्यक्ष	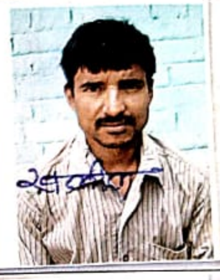
2	जफीरूल पति–मनीर	ग्राम–बैराघाट, पो0–सुगौना, भाया–राजनगर, जिला–मधुबनी	समाज सेवा	उपाध्यक्ष	
3	रमीज अंसारी पिता–मो0 बेलाल अंसारी	ग्राम– बैराघाट पो0–सुगौना, रमीज अंसारी भाया–राजनगर, जिला–मधुबनी	समाज सेवा	सचिव	
4	मो0 जमील अंसारी अब्दुल वाहीद अंसारी	ग्राम– भगवानपुर पो0–सुगौना, रमीज अंसारी भाया–राजनगर, जिला–मधुबनी	समाज सेवा	कोषध्यक्ष	

रमीज अंसारी

क्रमांक	नम, पिता / पति का नाम	पता	पेशा	पद	स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो
5	सुबैदा पति—कलाम	ग्राम—बैराघाट, पो0—सुगौना, भाया—राजनगर, जिला—मधुबनी	गृहिणी	उप सचिव	
6	शफीकुल्लाह मोमिन पिता—रहमान मोमिन	ग्राम—बैराघाट, पो0—सुगौना, भाया—राजनगर, जिला—मधुबनी	समाज सेवा	सदस्य	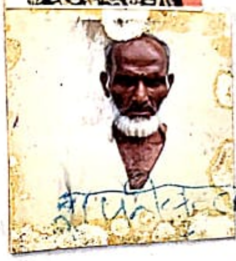
7	मो0 तैयब हुसैन पिता—अब्दुल रशीद	ग्राम—भगवानपुर, पो0—सुगौना, भाया—राजनगर, जिला—मधुबनी	समाज सेवा	सदस्य	

6. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता / पति का नाम, पता, पेशा पद एवं हस्ताक्षर एवं फोटो नीचे दिया गया है। वर्तमान में स्मृति–पत्र के अनुसार संस्थान निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अंतर्गत निबंधन के आकांक्षी हैं।

कमांक	नाम, पिता / पति का नाम	पता	पेशा	पद	स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो	हस्ताक्षर
1	खलील पिता–फारूक	ग्राम–बैराघाट, पो0–सुगौना, भाया–राजनगर जिला–मधुबनी	समाज सेवा	अध्यक्ष		खलील
2	जफीरूल पति–मनीर	ग्राम–बैराघाट, पो0–सुगौना, भाया–राजनगर जिला–मधुबनी	समाज सेवा	उपाध्यक्ष	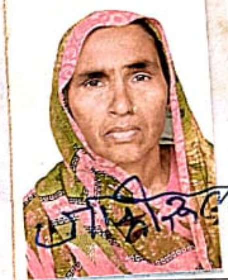	जफीरूल
3	रमीज अंसारी पिता–मो0 बेलाल अंसारी	ग्राम–बैराघाट पो0–सुगौना, भाया–राजनगर जिला–मधुबनी	समाज सेवा	सचिव		रमीज अंसारी
4	मो0 जमील अंसारी अब्दुल वाहीद अंसारी	ग्राम–भगवानपुर पो0–सुगौना, भाया–राजनगर जिला–मधुबनी	समाज सेवा	कोषध्यक्ष		मो0 जमील अंसारी

कमांक	नम, पिता / पति का नाम	पता	पेशा	पद	स्वहस्ताक्षरित	हस्ताक्षर
5	सुबैदा पति–कलाम	ग्राम–बैराघाट, पो0–सुगौना, भाया–राजनगर जिला–मधुबनी	गृहिणी	उप सचिव		
6	शफीकुल्लाह मोमिन पिता–रहमान मोमिन	ग्राम–बैराघाट, पो0–सुगौना, भाया–राजनगर जिला–मधुबनी	समाज सेवा	सदसय		
7	मो0 तैयब हुसैन पिता–अब्दुल रशीद	ग्राम–भगवानपुर पो0–सुगौना, भाया–राजनगर जिला–मधुबनी	समाज सेवा	सदस्य		

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने मेरे सामने हस्ताक्षर किये हैं, जिन्हे मैं जानता एवं पहचानता हूँ।

हस्ताक्षर

नामः– अशोक कुमार यादव

पदनाम एवं मुहर

रईस सिफा इमदादी खाना

ग्राम–भगवानपुर, पो0–सुगौना, राजनगर, जिला–मधुबनी (बिहार)।

आम सभा का प्रस्ताव

आज दिनांकः–07.08.2011 को "रईस सिफा इमदादी खाना" की आम सभा की बैठक अध्यक्ष मो0 खलील की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये।

प्रस्ताव सं0–1

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि "रईस सिफा इमदादी खाना" का निबंधन संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अंतर्गत निबंधित करा लिया जाय।

प्रस्ताव सं0–2

रमीज अंसारी

साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि संस्था के निबंधन कराने का भार सचिव रमीज अंसारी को सौंपा जाय।

हस्ताक्षर अध्यक्ष

प्रमाणित किया जाता है कि यह है कि यह आम सभा के प्रस्ताव की सच्ची प्रति है।

खलील
अध्यक्ष

रमीज अंसारी
ह0/–सचिव

कोषाध्यक्ष :–

(क) संस्था के आय व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा आहूत बैठक में प्रस्तुत करना।

(ख) संस्था के सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, दान, चन्दा आदि प्राप्त कर रसीद देना।

(ग) संस्था के कोष को किसी बैंक या डाक घर में संस्था के नाम से जमाँ करना।

7. **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :–**

(क) संस्था के चल एवं अचल सम्पत्ति का उत्तरदायी होगा।

(ख) संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना।

(ग) शाखा एवं उपशाखा का गठन करना/ स्वीकृति देना।

(घ) उद्धेश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

8. **आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

(क) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।

(ख) संस्था के आय व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना।

(ग) उद्धेश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक काय्र काना।

(घ) अंकेक्षक की नियुक्ति करना।

9. **बैठक :–**

(क) आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रील माह में होगी।

(ख) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी।

(ग) कार्यकारिणी समिति एवं आम सभा की विशेष बैठक कभी भी बुलाई जासकती है।

10. **बैठक की सूचना :–**

(क) आम संस्था की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी।

(ख) आम सभा की विशेष बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जाएगी।

(ग) कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना सात दिन पूर्व दी जाएगी।

(घ) कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक की सूचना चार दिन पूर्व दी जाएगी।

(ड.) बैठक की सूचना पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या डाक द्वारा दी जाएगी।

11. **प्रार्थित बैठकः–**

एक तिहाई सदस्यों के लिखित मॉग पर सचिव को एक माह के अन्दर बैठक बुलाना होगा। यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक का आयोजन नहीं करते हैं तो आवेदक को अधिकार होगा कि आवेदन पत्र में लिखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकते हैं।

12. **कोरम (गणपूर्ति)** :– प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का दो तिहाई का होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी, और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यक्ता नहीं होगी।

13. **आय के श्रोत:–**

(क) सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क।

(ख) सरकारी एवं गैर सरकारी अनुदान से।

(ग) दान एवं चन्दा से।

(घ) कार्यकमो के आयोजनों से।

(ङ.) संस्था के द्वारा उत्पादित सामग्रीयों के बिकी से।

14. **निधि का अंकेक्षण :–**

(क) संस्था की आय का लेख नियमित रूप से रखा जाएगा। तथा आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण कराया जाएगा।

(ख) निबंधन महानिरीक्षक अपने विवेक से जब भी चाहें संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते हैं। जिसका शुलक संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

15. **कोष का संचालन** :– संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमॉ किया जाएगा, जिसकी निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किनहीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जाएगी लेकिन सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

16. **पंजी का निरीक्षण** :– संस्था का सभी पंजियॉ निबंधित कार्यालय में जमॉ रहेगी। जहॉ कोई भी सदस्य सचिव के अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं।

17. **नियमावली में संशोधन** :– नियमावली में संशोधन आम सभा के 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर किया जाएगा।

18. **कानूनी कारवाई** :– संस्था के द्वारा कानूनी कारवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति कार्यकारिणी समिति के सलाह से की जाएगी। संस्था के विरूद्ध किसी भी प्रकार का मुकदमा आदि मधुबनी न्यायालय में चलेगा।

19. विघटन एवं विघटनोपरान्त संपत्ति की व्यवस्था :–

संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 1860 के धारा 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने कें बाद ही किया जायगा। आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जाएगा।

विघटन के उपरान्त चल एवं अचल सम्पत्ति को सदस्यों के द्वारा आपस में बाँटी नहीं जाएगी, बल्कि संस्था के जिम्मा सारा देन, पावना अदा करने के बाद बची सम्पत्ति सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर निबंधन महानिरीक्षक के अनुमति से समान उद्धेश्य वाली संस्था को हस्तानान्तरण किया जा सकेग।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है।

खलील	मो० जमील द्विवारी	शमीज अंसारी
अध्यक्ष	**कोषाध्यक्ष**	**सचिव**

शमीज अंसारी